

[भारत के राजपत्र (असाधारण) के, भाग 3, खण्ड-2, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना सं. 19 /2021-सीमा शुल्क

नई दिल्ली, दिनांक:- 30 मार्च 2021

सा.का.नि.----- (अ), - केंद्र सरकार, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत के राजपत्र, असाधारण, में सा.का.नि. संख्यांक 274 (ई), दिनांक 31 मार्च 2003 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्यांक 52/2003-सीमा शुल्क दिनांक 31 मार्च 2003 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात :-

उक्त अधिसूचना में प्रारम्भिक पैरा में, परंतुक में, "अप्रैल 2021 के पहले दिन" के आंकड़ों, अक्षरों एवं शब्दों को "अप्रैल 2022 के पहले दिन" आंकड़ों, अक्षरों एवं शब्दों से स्थानापन्न किया जाएगा।

[ फा संख्या डीजीईपी/एसईजेड/09/2017 (भाग-2) ]

(राजीव रंजन)

अवर सचिव

भारत सरकार

नोट : प्रधान अधिसूचना सं. 52/2003-सीमा शुल्क, दिनांक 31 मार्च 2003 भारत के राजपत्र, असाधारण के, सा.का.नि. सं. 274 (ई), दिनांक 31 मार्च 2003 के अंतर्गत प्रकाशित की गई थी और सा.का.नि. सं. 213 (ई) दिनांक 24 मार्च 2020 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 16/2020-सीमा शुल्क, दिनांक 24 मार्च 2020 द्वारा इसमें अंतिम बार संशोधन किया गया था।